

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6/वि0पत्रा0—24—80/2023

पटना, दिनांक:—

श्री संतोष कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (56—59वीं बैच, गृह जिला—गया), मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम—159 के तहत दिनांक 11.04.2026 को शनिवारीय एवं दिनांक 12.04.2026 को रविवारीय अवकाश उपभोग की घटनोत्तर अनुमति तथा बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 13.04.2026 से 13.05.2026 तक 31 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री कुमार के अवकाश लेखा में (240—31=209) दो सौ नौ दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

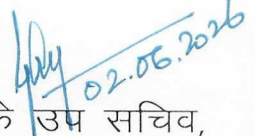
(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/वि0पत्रा0—24—80/2023 **2014**

पटना, दिनांक:—**03/06/26**

प्रतिलिपि :— वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (56—59वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।